

फा.सं.4/3/2013-आईआर
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 31 मई, 2013

विषय:- केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति।

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु किया है। यह नई दिल्ली में स्थित है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं दस से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे। केन्द्रीय सूचना आयोग की वर्तमान संरचना www.cic.gov.in पर देखी जा सकती है। केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की शक्तियां एवं दायित्व अधिनियम के अध्याय V के अनुसार हैं।


2. सूचना आयोग में और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां किया जाना प्रस्तावित है। अधिनियम में प्रावधान है कि सूचना आयुक्त, विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

3. इसके अतिरिक्त, सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व संबंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारबार या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा।

4. सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा। सूचना आयुक्त को वेतन एवं भत्ते चुनाव आयुक्त के समान देय होंगे बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा लिए गए पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हों, को समायोजित कर लिया जाएगा।

5. सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपने विवरण संलग्न प्रपत्र में अवर सचिव (आरटीआई), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को डाक द्वारा या ई-मेल usrti-dopt@nic.in के माध्यम से 28 जून, 2013 तक भेज सकते हैं। राज्य/केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी संगठन के अन्तर्गत सेवारत व्यक्ति अपने विवरण समुचित माध्यम से भिजवाएं।

6. उल्लेखनीय है कि ये नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समीक्षा याचिका (सी) सं. 2012 की 2309 के निर्णय के अधधीन होंगी।



(संदीप जैन)

उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23092755

केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर विचारार्थ भेजे जाने वाले विवरण
संबंधी प्रपत्र

कृपया नवीनतम
पासपोर्ट आकार का
फोटो चिपकाएं

1. नाम :
2. जन्म तिथि :
3. वर्तमान पता :
4. संपर्क संख्या :
 - क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित)
 - ख) मोबाइल :
 - ग) फैक्स :
5. ई-मेल पता :
6. शैक्षिक अर्हताएं :
7. विशेषज्ञता क्षेत्र :
8. वर्तमान व्यवसाय :
9. उपलब्धियां/कार्य अनुभव (संक्षेप में) :

तिथि :

हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :